

पटना में दिनांक-15 दिसम्बर, 2015 मंगलवार को अपराह्न 05:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

सामान्य प्रशासन विभाग

1. रिट याचिका सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-11923/2007, ऐनुल हक अंसारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-19.02.2015 को पारित आदेश, सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-22096/2014, राजेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-14.08.2015 को पारित आदेश तथा बिहार राज्य मुकदमा नीति के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक-06.08.2015 की विशेष बैठक के निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/- ग्रेड पे ₹ 7,600/- का लाभ देने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. वर्ष 2016 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।

शिक्षा विभाग

4. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-14402/2006, सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-15280/2014, सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-4642/2014, एल०पी०ए० संख्या-1620/2013 तथा एस०एल०पी० संख्या-9744/2015 में माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित आदेश के अनुपालन में राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के वैसे शिक्षक, जो दिनांक-01.01.1977 को कार्यरत थे, दिनांक-15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा दिनांक-15.11.2000 के बाद बिहार राज्य में वर्तमान में कार्यरत या सेवानिवृत्त हुए हैं, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3521 दिनांक-11.04.1977 के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में 01.01.1977 से संविलयित कर परिणामी लाभ देने तथा राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय से संविलयित होने वाले पदों को मरणशील पद घोषित करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

शिक्षा विभाग

5. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रांश मद में निर्गत राशि 5113119000/- (पाँच सौ ग्यारह करोड़ एकतीस लाख उन्नीस हजार रू०) एवं संगत राज्यांश 1444250000/- (एक सौ चौवालीस करोड़ बेयालीस लाख पचास हजार रू०) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

शिक्षा विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनान्तर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु कुल रू० 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) मात्र एवं अन्य व्ययों के निमित्त कुल रू० 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख) अर्थात् कुल रू० 4,00,00,000/- (चार करोड़) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु क्रमशः ₹ 237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साठ हजार रू०) एवं ₹132.31 लाख (एक करोड़ बत्तीस लाख एकतीस हजार रू०) अर्थात् कुल ₹ 369.91 लाख (तीन करोड़ उनहत्तर लाख एकान्चे हजार) मात्र की सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

ग्रामीण कार्य विभाग

8. श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, धौरैया, कार्य प्रमंडल, बांका-2 को निगरानी थाना कांड संख्या-29/86 एवं 30/86 में माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी द्वारा दिनांक-21.12.2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

योजना एवं विकास विभाग

(बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी)

9. विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगी क्रियान्वयन एजेंसियों (Implementing Agencies) के स्थापना आदि पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु विश्व बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप BRPNNL द्वारा उक्त मद में हुए वास्तविक खर्च का विपत्र समर्पित करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण "विश्व बैंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में BRPNNL को Centage एवं Contingency मद में किसी राशि का भुगतान नहीं होगा" फलतः पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं०-मु०मं०सेतु -विविध-10/2007-11045, दिनांक-19.09.2007 की कंडिका-8 का उक्त परियोजनाओं पर अप्रभावी होने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।

वाणिज्य-कर विभाग

10. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री शंकर कुमार मिश्र, वाणिज्य-कर उपायुक्त को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान 37,400-67,000+ग्रेड पे० 8,700 रू०) कोटि में नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में।

सहकारिता विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिए गये ऋण के विरुद्ध दिनांक-05.01.2016 के पूर्व ऋण मद का मूल किश्त में भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 4,00,70,000.00 (चार करोड़ सत्तर हजार) अग्रिम की स्वीकृति।

संसदीय कार्य विभाग

12. नवगठित षोडश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 181वें सत्र के संशोधित औपबधिक कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

संसदीय कार्य विभाग

13. षोडश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 181वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

पर्यावरण एवं वन विभाग

14. बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority, Bihar) कार्यालय के लिए सिविल/पर्यावरण अभियंता के दो पदों के सृजन एवं इसके अतिरिक्त एक चालक की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेने का प्रस्ताव।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. श्री राम सागर पासवान, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक-401/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिग्घलबैंक, किशनगंज द्वारा अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरुद्ध समर्पित अभ्यावेदन/पुनर्विलोकन अर्जी के संबंध में।

कृषि विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2015-16 में Sub Mission On Agricultural Mechanization कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 1201.067 लाख रुपये (बारह करोड़ एक लाख छः हजार सात सौ रुपये) की लागत से कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना एवं फ्लेक्सि फंड के व्यय की स्वीकृति।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों में 86820 साधारण चापाकल, 5229 भू-जल स्तर में गिरावट के कारण बंद साधारण चापाकलों का रिहैबिलीटेशन/रेजुवेनेशन, 1700 साधारण चापाकल का रेज्ड प्लेटफार्म के साथ रिहैबिलीटेशन, 9460 चापाकल (इंडिया मार्क-III पम्प के साथ) की साधारण मरम्मति प्लेटफार्म एवं नाली के साथ, 3965 चापाकलों के इंडिया मार्क-III/II पम्प के साथ औसतन 9 मीटर राईजर पाईप बढ़ाने/बदलने का कार्य तथा 2210 ड्रिल्ड चापाकलों का प्लेटफार्म एवं नाली के साथ साधारण मरम्मति अर्थात् कुल 109384 चापाकलों की साधारण मरम्मति हेतु रु० 2394.00 लाख (तेईस करोड़ चौरानबे लाख रुपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

18. केन्द्रीय योजनागत योजना अंतर्गत षष्ठम आर्थिक गणना के सम्पादन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2015-16 में मो० 8,12,84,000/- (आठ करोड़ बारह लाख चौरासी हजार) रुपये के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

19. राज्यपाल सचिवालय, बिहार में सचिवालय प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालय कोषांगों के कार्यों के निष्पादन हेतु विधि पदाधिकारी (अवर सचिव के समकक्ष) का एक (01) पद, प्रशाखा पदाधिकारी का एक (01) पद तथा सहायक का आठ (08) पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।